



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226708
CG-DL-E-22042021-226708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1548]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2021/चैत्र 30, 1943

No. 1548]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2021/CHAITRA 30, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ. 1666(अ).—यतः, मै. केन्द्र गुडगाँव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व मै. यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड) ने हरियाणा राज्य के गुरुग्राम, गांव टिकरी, सेक्टर-48 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 61(अ) दिनांक 09 जनवरी, 2008 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.041 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. केन्द्र गुडगाँव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 0.1519 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 13 अप्रैल, 2021 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **0.1519 हेक्टेयर** के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः **कुल क्षेत्रफल 10.1929 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित खसरा संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:—

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम.सं.	गाँव का नाम	रिक्टेन्गल संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	टिकरी	06	17/2 मिन (पूर्व)	0.1519
कुल				0.1519
उपयुक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				10.1929

[फा. सं. एफ.2/119/2005—ईपीजेड]

अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

S.O. 1666(E).—Whereas, M/s. Candor Gurgaon One Realty Projects Private Limited (formerly M/s. Unitech Realty Projects Ltd.) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Village Tikri, Sector-48, Gurugram in the State of Haryana;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 10.041 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 61(E) dated 09th January, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. Candor Gurgaon One Realty Projects Private Limited has now proposed for include addition area of 0.1519 hectares area as a part of above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved and conveyed it on 13th April, 2021;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **notifies an additional area of 0.1519 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, **thereby making the total area of the Special Economic Zone as 10.1929 hectares**, comprising the Khasra number and the area given below in the table, namely: -

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

Sl. No.	Name of Village	Rectangle No.	Khasra No.	Total area (in Hectares)
1.	Tikri	06	17/2 min (east)	0.1519
Total				0.1519
Grand Total Area of SEZ after above addition				10.1929

[F. No. F.2/119/2005-EPZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy.